आकाशवाणी/दूरदर्शन की प्रसारण संहिता

विज्ञापन संहिता

आकाशवाणी/दूरदर्शन की प्रसारण संहिता आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती निगम के दो अंग हैं। आकाशवाणी पर वाणिज्यिक विज्ञापन 1 नवम्बर, 1967 से तथा दूरदर्शन पर 1 जनवरी, 1976 से प्रारंभ हुए। विज्ञापनदाताओं के उत्पादों और सेवाओं के प्रचार में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों कारगर माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके माध्यम से प्रसारित कोई विज्ञापन विषय-वस्तु, भाव-भंगिमा, भाषा या प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से श्रोताओं, दर्शकों या उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए और न ही शालीनता और सुरूचि के विरूद्ध होना चाहिए।

प्रसार भारती में वाणिज्यिक राजस्व ही विज्ञापन की स्वीकृति या प्रसारण का एक मात्र मापदण्ड नहीं है। विज्ञापन संहिता के कठोर प्रावधान हैं, जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

अ. शराब तथा तंबाकू पान मसाला समेत उत्पादों के विज्ञापन की अनुमति नहीं है।

ब. वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन, उपभोक्ता अधिकारों के लिए देश में लागू कानूनों के अनुरूप होने चाहिए।

स. वाणिज्यिक विज्ञापन की विषय वस्तु में महिलाओं की छवि को दूषित करने वाली और बच्चों की सुरक्षा के प्रतिकूल कोई बात नहीं होनी चाहिए।

कार्यक्रम संहिता

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों की सामान्य प्रसारण संहिता, जिसे कार्यक्रम संहिता भी कहा जाता है, में निम्नलिखित बातों के प्रसारण पर प्रतिबंध हैं :

(क) मित्र देशों की आलोचना।

(ख) धर्मों या समुदायों की निन्दा।

(ग) अश्लीलता अथवा मानहानि वाली कोई बात।

(घ) हिंसा को उकसाने वाली या कानून और व्यवस्था के विरूद्ध कोई बात।

(ड़) न्यायालय की अवमानना की कोई बात।

(च) राष्ट्रपति और न्यायपालिका की निष्ठा पर लांछन ।

(छ) राष्ट्र की एकता के विरूद्ध और किसी व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना करने वाली कोई बात।

.....